

# 

# आपातकालीन प्रावधान (EMERGENCY PROVISIONS)

# हमारे TOPIC EXPERT के साथ











# Emergency Provisions आपातकालीन प्रावधान

मिंचारी जगहों। भारत सहकार



## GS/ GK का महासंग्राम



Government of India Act 1935 served as the The inspiration for the emergency provision in the Indian Constitution. Articles 352 through 360 of Part 18 of the Indian Constitution discuss emergency measures and deal with emergency situations in India. A state of emergency transfers all authority to the central government. • भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपायों पर चर्चा करते हैं और भारत में आपातकालीन स्थितियों से निपटते हैं। आपातकाल की स्थिति सभी अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देती है।



### GS/ GK का महासंग्राम



Under Part 18 of the constitution, where particular articles have been drafted, the emergency provisions of the Indian constitution are mentioned. An essential supplement that discusses the many emergency scenarios that can arise in India is the emergency article.

 संविधान के भाग 18 के तहत, जहां विशेष अनुच्छेदों का मसौदा तैयार किया गया है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। एक आवश्यक पूरक जो भारत में उत्पन्न होने वाले कई आपातकालीन परिदृश्यों पर चर्चा करता है वह आपातकालीन लेख है।



## GS/ GK का महासंग्राम











- The purpose of the emergency provisions is to ensure that the country is prepared for emergencies and that the necessary actions may be performed should they arise. These emergency clauses in the Indian Constitution were included in an effort to safeguard the nation's integrity, sovereignty, and general security as well as to provide the necessary framework for the President to declare a national emergency.
  - आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश आपात स्थिति के लिए तैयार है और आपात स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। भारतीय संविधान में इन आपातकालीन धाराओं को देश की अखंडता, संप्रभुता और सामान्य सुरक्षा की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करने के प्रयास में शामिल किया गया था।







#### Administrative Relations

- The distribution of legislative authority has resulted in a shared executive branch between the federal government and the states.
- Article 256 to 263 of the constitution deals with the administrative relation between the Centre and States.
   মহামেনিক संबंध
- विधायी प्राधिकार के वितरण के परिणामस्वरूप संघीय सरकार और राज्यों के बीच एक साझा कार्यकारी शाखा बन गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध से संबंधित है।







> Three sorts of emergencies have been identified based on the three articles that were created to address emergency situations, as shown below: a) National Emergency -> <15/19 31141/410 b) Constitutional Emergency/State Emergency\_ (Tak Mias अणातवाला Emergency المرجانية कि संबोधित करने के लिए बनाए गए तीन लेखों के आधार पर 314 danci तीन प्रकार की आपात स्थितियों की पहचान की गई है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल संवैधानिक आपातकाल/राज्य आपातकाल वित्तीय आपातकाल







### National Emergency (Art 352)

- When the security of the country is threatened by external or internal elements like war, armed revolt, or other hostile acts, a National Emergency is declared under Article 352 of the Indian Constitution. An "External Emergency" is what it is known as when a National emergency is declared as a result of an external threat.
- राष्ट्रीय आपातकाल
- जब देश की सुरक्षा को युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या अन्य शत्रुतापूर्ण कृत्यों जैसे बाहरी या आंतरिक तत्वों से खतरा होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। "बाहरी आपातकाल" उसे कहा जाता है जब किसी बाहरी खतरे के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है।













#### National Emergency

- On the other hand, it is referred to as an "Internal Emergency" if such an emergency is declared as a result of a "armed rebellion". Even prior to an incident occurring, the President has the authority to proclaim a national emergency. When India was at war with China in 1962, the first National Emergency was established. Indira Gandhi then proclaimed an additional "Internal Emergency" at that time. **TIPEZITI आपातकाल**
- दूसरी ओर, इसे "आंतरिक आपातकाल" कहा जाता है यदि ऐसा आपातकाल "सशस्त्र विद्रोह" के परिणामस्वरूप घोषित किया जाता है। किसी घटना के घटित होने से पहले ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। 1962 में जब भारत चीन के साथ युद्ध में था, तब पहला राष्ट्रीय आपातकाल स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी ने उस समय एक अतिरिक्त "आंतरिक आपातकाल" की घोषणा की।







Constitutional Emergency or President's Rule

• Article 356 specifically addresses the situation of a "state emergency," sometimes known as a "constitutional emergency" because it denotes a breakdown in the nation's constitutional framework. According to Article 356 of the Indian Constitution's emergency clause, the central government performs all governmental duties.

संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन

 अनुच्छेद 356 विशेष रूप से "राज्य आपातकाल" की स्थिति को संबोधित करता है, जिसे कभी-कभी "संवैधानिक आपातकाल" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह देश के संवैधानिक ढांचे के टूटने को दर्शाता है। भारतीय संविधान के आपातकालीन खंड के अनुच्छेद 356 के अनुसार, केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्तव्यों का पालन करती है।







#### Financial Emergency

- In order to take control of the situation and prevent panic among the populace while the nation is experiencing a financial crisis, the President of India may declare an emergency. Article 360, which allows the application of the emergency provisions, can be used to address a financial emergency.
   Article 360, which allows the application of the emergency provisions, can be used to address a financial emergency.
  - जब देश वित्तीय संकट का सामना कर रहा हो, तब स्थिति को नियंत्रित करने और जनता के बीच घबराहट को रोकने के लिए, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360, जो आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है, का उपयोग वित्तीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।







#### **Financial Emergency**

The salaries and allowances of government officials are anticipated to be reduced in the event of a financial emergency. India has not yet had a financial emergency. Although it was anticipated that there may be financial turbulence in 1991. Without needing to proclaim a state of emergency, the Indian government handled the problem quickly. LPG Reform) वित्तीय आपातकाल • वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्ते कम होने का अनुमान है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है. हालाँकि यह अनुमान लगाया गया था कि 1991 में वित्तीय अशांति हो सकती है। आपातकाल की स्थिति घोषित किए बिना, भारत सरकार ने समस्या को तुरंत संभाल लिया।







Q. 1 Which Articles of the Indian Constitution contain the Emergency Provisions? / भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं?











Q 3. Who is empowered to declare National Emergency under Article 352? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है?



abinetati Drac Annilty of St SITEVIA Declare attacié

(a) Parliament
(b) Prime Ministers
(c) Council of Ministers
(d) President















Q.5 On which basis the President cannot declare National Emergency? किस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते?









Q.6 Proclamation of emergency must be approved by both the houses of / parliament within? आपातकाल की उद्धोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?









- Originally, it was 2 months but reduced to 1 month by the 44th amendment act of 1978.
- Once approved, it will be valid for six months and can be extended to an infinite period with the approval of parliament every six months.
- मूल रूप से, यह 2 महीने था लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया।

• एक बार मंजूरी मिलने के बाद, यह छह महीने के लिए वैध होगा और हर छह महीने में संसद की मंजूरी के साथ इसे अनंत अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।







#### Q.7 Which type of Majority is needed to pass the emergency resolution in . Parliament?

/ आपातकालीन प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद?



Simple Majority

Special Majority

Special majority and approval by

half of the states' assembly

Absolute majority







- Special Majority [ majority of total membership and 2/3rd of the members of the present and voting;
- Earlier, only a simple majority was needed. A special majority provision was added by the 44th amendment act of 1978. It was also added in this amendment act that the president must revoke the emergency if the Lok Sabha disapproves.

• विशेष बहुमत [ कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले स<u>दस्यों का</u> 2/3 ;

 पहले सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती थी. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक विशेष बहुमत का प्रावधान जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम में यह भी जोड़ा गया कि यदि लोकसभा इसे अस्वीकार करती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल को रद्द करना होगा।







Q.8 Article 358 deals with? अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है?



- , a)
- <u>\_\_\_\_b)</u>
- Suspension of fundamental rights
  - guaranteed by article 19
- Suspension of fundamental rights
  - other than Articles 19, 20, and 21
- c) Both of the above
- d) None of the above







- Article 358 deals with Suspension of fundamental rights guaranteed by article 19.
- Article 359 deals with the Suspension of fundamental rights other than Articles 19, 20, and 21.
- अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
- अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अलावा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।







Q.9 National emergency was not declared in which of the following year? निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था?



(a) 1962
(b) 1971
(c) 1975
(d) 1999







Q.10 Which of the following judgment held that the proclamation of national emergency can be challenged in a court on the ground of malafide or others. निम्नलिखित में से किस फैसले में कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना या अन्य आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।



- a) Champakam Dorairanjan case (1951)
- b) Golaknath Case (1967)
- c) Kesavananda Bharti case (1973)
- d) Minerva Mills case (1980)







Q.11 Who can make laws on any matter in the State List for implementing the international treaties, agreements or conventions? अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून कौन बना सकता है?



- a) The Parliament
- b) The Council of Ministers
- c) The Prime Minister
- d) The Vice President





- The Parliament of India is empowered to make laws on any matter in the State List for implementing the international treaties, agreements or conventions. The provision enables the Central government to fulfill its international obligations and commitments.
- भारत की संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।